इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शनिवार, दिनांक ७ जनवरी २०१७—पौष १७, शक १९३८

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक ७ जनवरी 2017

क्र. डी-15-78-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2011 तथा जिसकी कालाविध इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06 जनवरी 2016 द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2016 से आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाई गई थी.

प्रदेश के कपास उत्पादकों के हित को ध्यान में रखते हुए, कपास पर दी जाने वाली एक प्रतिशत मण्डी फीस से छूट (इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2011 के उपबंधों एवं शर्तों के अनुसार) दिनांक 08 जनवरी 2017 से आगामी एक वर्ष तक बढ़ाई जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2017

क्र. डी-15-78-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 जनवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय गुप्ता, उपसचिव

Bhopal, the 7th January 2017

No. D-15-78-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under the provisions of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) and subject to the terms and conditions specified in this department's same numbered earlier notification dated 15th November 2011, the State Government has extended the validity period extended from 8th January 2016, for one year *vide* the department's same numbered notification dated 6th January 2016.

Keeping in view state's Cotton growers interest, State Government, hereby, w.e.f. 08th January 2017 extends for one year, the exemption of one percent Market Fee on "Cotton" (Subject to terms and conditions specified in this department's same numbered notification dated 15th November 2011).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, AJAY GUPTA, Dy. Secy.